न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीनिधि बी टी (आई0ए0एस0) जिला कलक्टर, धौलपुर

अपील नम्बर 37/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/76**

उनवान प्रकरण

अशोक पुत्र चरनसिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति त्यागी निवासी ग्राम सीयपुरा तहसील मंनिया जिला धौलपुर। ....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मंनिया तहसील मंनिया जिला धौलपुर ....रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 18.01.2023
मु0नं0 31/2022 सरकार बनाम अशोक
धारा 91 एलआरएक्ट न्यायालयतहसीलदार मंनिया

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री रामअवतोर गौड एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर (राज०)

निर्णय **दिनांक : 30.01.2025**

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मंनिया द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 100, 136 रकवा 05 वीधा 15 विस्वा किस्म चारागाह बांके ग्राम सीयपुरा तहसील मंनिया जिला धौलपुर पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने तथा लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 18.01.2023 को पारित किया है जबकि आराजी खसरा नम्बर 100 बांके ग्राम सियपुरा जिसका साविक खसरा नम्बर 65/8 बांके ग्राम सियपुरा तहसील मंनिया पर अपीलान्ट के पूर्व पुरूष सलिकी व चरनसिंह का काफी लम्बे अर्से से कब्जा चला आ रहा है तथा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.1976 द्वारा उपरिवर्णित आराजी को नियमन योग्य मानते हुये प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर को इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरिवर्णित आराजी काबिज क़ाश्त है तथा आराजी को चारागाह से बारानी में तब्दील करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को उपरिवर्णित आराजी पर अतिक्रमी मानकर विवादित आराजी से अपीलान्ट को बेदखल किये जाने एवं लगान की 50 गुना शास्ती अधिरोपित किये जाने का आदेश पारित किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इन आधारो पर प्रस्तुत की है कि अधीनस्थ अधिकारी को विवादित आराजी के चारागाह से बारानी प्रथम में

जिला कलक्टर
धौलपुर

किस्म परिवर्तन कर किस्म तब्दील कर अपीलान्ट के हक में नियमन की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु सिफारिस करनी चाहिये थी। विवादित आराजी पर अपीलान्ट के पूर्व पुरूष सलिकी व चरनसिंह पुत्रगण प्रभा अपने जीवन पर्यन्त उपरिवर्णित आराजी पर काबिज होकर निरन्तर रूप से काश्त करते रहे तथा सलिकी व चरनसिंह उपरोक्त के निधन के उपरान्त अपीलान्ट निरन्तर रूप से काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है तथा अपीलान्ट उपरिवर्णित आराजी को अपने हक में नियमन करा पाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कब्जे को दरकिनार कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपने आप में प्रारम्भ से ही शून्य है तथा काबिल खारिजी के है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर रखकर राठौरी रवैया अख्तैयार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में तथ्यों तथा विधिक प्रावधानों के विपरीत है। विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है। अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 21.10.2024 को हल्का पटवारी के अवगत कराने पर हुआ तत्पश्चात उसी दिन दिनांक 21.10.2024 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु प्रार्थना पत्र कार्यालय तहसीलदार मंनिया के यहां प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 23.10.2024 को प्राप्त हुई। ज्ञान से अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत है। धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत की गई।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनिमय पर उभयपक्ष को सुना गया। प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन किया जाता है। हम अपील अपीलान्ट गुणवगुण के आधार पर अपील का निर्णय किया जाना उचित समझते है।

बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा टाइप शुदा आदेश में केवल खाली स्थान भर कर आदेश मनमाने तरीके से पारित किया है। तहसीलदार मंनिया द्वारा आराजी खसरा नम्बर 100 बांके ग्राम सियपुरा जिसका साविक खसरा नम्बर 65/8 पर अपीलान्ट के पूर्व पुरूष सलिकी व चरनसिंह का काफी लम्बे अर्से से कब्जा चला आ रहा है तथा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.1976 द्वारा उपरिवर्णित आराजी को नियमन योग्य मानते हुये प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर को इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरिवर्णित आराजी काबिज काश्त है तथा आराजी को चारागाह से बारानी में तब्दील

जिला कलक्टर
धौलपुर

करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया है फिर भी अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर विधि विरूद्व तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार सुनबाई का अवसर प्रदान नहीं किया है और अपीलान्ट पर बिना किसी प्रकार तामील कराये विधिक प्रावधानों को ताक पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अपने आप में विधिक प्रावधनों के विपरीत होने के कारण काबिल खारिजी के है।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पटवारी द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व की गई रिपोर्ट की पुष्टि होती है। अतिक्रमी का अतिक्रमण सिद्व होता है। चूंकि वर्तमान में उक्त विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। चारागाह भूमि का किसी भी प्रकार से नियमन/आवंटन नहीं किया जा सकता। चारागाह भूमि धारा 16 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रतिवन्धित भूमि है। अपीलान्ट/अतिक्रमी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है, वह सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 एलआरएक्ट के तहत अपीलान्ट को जो नोटिस जारी किया है उस पर अपीलान्ट की कोई तामील नहीं हुई है किसी अन्य व्यक्ति के नोटिस पर हस्ताक्षर है इस प्रकार अपीलान्ट पर नोटिस की तामील विधिवत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मंनिया द्वारा आदेशिका पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.01.2023 पारित किया है। उक्त आदेशिक में अपीलान्ट को उपस्थित/अनुपस्थित, सबूत पेश किये/नहीं किये लिखा है इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलान्ट उपस्थित हुआ अथवा अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट ने जबाव, सबूत साक्ष्य पेश किये या नहीं किये स्पष्ट नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मंनिया ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश छपे हुए प्रपत्र में खाली स्थानो पर पेन से कथित अतिक्रमण का विवरण अंकित किया है, यह विवके पूर्ण आदेश न होकर मात्र फार्म भरने जैसा है। अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट का यह कथन है कि पूर्व में स्वंय अधीनस्थ अधिकारी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 100 बांके ग्राम सियपुरा जिसका साविक खसरा नम्बर 65/8 पर अपीलान्ट के पूर्व पुरूष सलिकी व चरनसिंह का काफी लम्बे अर्से से कब्जा चला आ रहा है तथा अधीनस्थ अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.1976 द्वारा आराजी को नियमन योग्य मानते हुये प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश धौलपुर को इस आशय से प्रस्तुत किया कि आराजी काबिल काश्त है तथा आराजी को चारागाह से बारानी में तब्दील करने की आज्ञा प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित किया है। पत्रावली के विचाराधीन रहते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इस सम्बध में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.01.2023 में इसका कोई उल्लेख व

जिला कलक्टर
धौलपुर

विवेचन अंकित नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्य सरसरी तौर पर करना अनुचित है। अपीलाधीन आदेश विवेक पूर्ण आदेश न होने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विरूद्व होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.01.2023 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह विस्तृत जांच कर अपीलान्ट की विधिवत सुनवाई कर सुनवाई के पश्चात गुणावगुण के आधार पर स्पीकिंग आदेश पारित करें तथा भविष्य में इस तरह के छपे हुए प्रपत्र पर आदेश पारित नहीं करें। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम जी जावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)